माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–267/2022 तेजस्वी चन्द्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 के अनुपालन में ।

उपरोक्त विषयक अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) देहरादून के पत्र संख्या–402/प्रशा0अधि0–स्थापना –2024 दिनांक 06 मार्च, 2024 के अनुपालन में पेट्रोल पम्प स्वामी के प्रतिनिधि श्री पीयुष कम्बोज की उपस्थिति में स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 11.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति निम्नानुसार–

1. श्री जय भारत सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) देहरादून।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

- कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या–402/प्रशा0अधि0–स्थापना–2024 दिनांक 06 मार्च, 2023 के अनुपालन में पुनः संयुक्त निरीक्षण दिनांक 11.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

1. पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु 25.11.2018 को इण्डियन ऑयल द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। (संलग्नक–1)

2- उक्त विज्ञापन के अनुकम में मधु काम्बोज, मोथरोवाला, नियर प्राईमरी स्कूल देहरादून का चयन किया गया, जिसके अनुक्रम में आवेदक द्वारा 07.12.2019 को रू0 50000/– सिक्यूरिटी एमाउंट के रूम में IOCL में जमा कराया गया।

3- 20.11.2020 को IOCL द्वारा प्रदत्त LOI के कम में जिलाधिकारी महोदय, देहरादून द्वारा 20.03.2021 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त आख्या/अनापत्ति के अनुरूप रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु अनापत्ति निर्गत की गयी।

4- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्रांक संख्या–2474/मानचित्र सेल/2020–21/दिनांक 12 मार्च, 2021 में सशर्त सूचित किया गया कि यदि भवन उपविधियों के अनुसार पेट्रोल पम्प के सभी मानक पूर्ण होते हैं तो आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। आवेदक द्वारा मानचित्र संख्या–सी–0342/20–21 भी आवेदित किया गया है। तत्क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 20.06.2022 को प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का मानचित्र स्वीकृत किया गया।

5- जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के पत्रांक संख्या–1334/जि0पु0आ0–प्रेपो0/2020–21 दिनांक 06 जनवरी, 2021 द्वारा रिटेल आउटलेट को डीजल लाइसेंस निर्गत किया गया।

6- PESO द्वारा 30.04.2021 को 60 के0एल0 पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के लिये स्वीकृति प्रदान की गई।

7- IOCL के पत्र दिनांक 07.09.2022 द्वारा जिला प्रशासन को सूचित किया कि उक्त रिटेल आउटलेट को 25.11.2018 को प्रकाशित विज्ञापन के कम में उक्त रिटेल आउटलेट का चयन 06.12.2019 को कर लिया गया था, जिसकी LOI दिनांक 02.11.2020 को जारी की गई थी।

पूर्व में किये निरीक्षणानुसार पेट्रोल पम्प के उत्तर दिशा में आउटलेट से लगा **Sierra International School** स्थापित है, पश्चिम दिशा में नगर निगम का खाली प्लॉट स्थापित है व दक्षिण–पूर्व दिशा में Fill Point/Dispensing Units से 40 मीटर की दूरी के अन्तर्गत एक आवासीय घर स्थापित है। आवासीय घर पैट्रोल पम्प स्थापित होने से पूर्व का है या नहीं यह स्पष्ट नहीं हुआ है। उक्त के अतिरिक्त पैट्रोल पम्प परिसद एवं स्कूल की दीवार आपस में सटी हुई है।

निरीक्षण के समय यह पाया गया कि रिटेल आउटलेट एवं स्कूल के मध्य दूरी 0.0 मी0 है अर्थात दोनो के मध्य कोई दूरी नहीं है। रिटेल आउटलेट की डिस्पेंसिंग यूनिट से स्कूल की दिवार

की दूरी 10 मीटर से भी कम है। जिस कारण वर्तमान समय में उक्त पेट्रोल पम्प राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 07.01.2020 का पालन नहीं करता है।

यह भी संज्ञान में लाना है कि सम्बन्धित कम्पनी (इंडियन ऑयल कम्पनी लिमिटेड) द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के कम में तत्समय विभिन्न विभागो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पत्र दिनांक 15.01.2021, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पत्र दिनांक 12.01.2021 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 02.02.2021 के उप जिलाधिकारी सदर के पत्र दिनांक 04.12.2021, लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 08.02.2021 तथा जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के पत्र दिनांक 06.01.2021 के द्वारा प्राप्त आख्याओं/अपानात्ति के आधार पर उपरोक्त रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा दी गई एन0ओ0सी0 दिनांक 20.03.2021 इस प्रतिबन्ध में साथ निर्गत की गई कि भवन निर्माण से पूर्व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त 06 विभागों से प्राप्त अनापत्ति में अंकित शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 02.02.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पेट्रोल पम्प का खसरा नं0 1081क ग्राम मोथरोवाला का भू–उपयोग देहरादून जोनल प्लान के अनुसार 30 मीटर महायोजना मार्ग के पश्चात आवासीय भू–उपयोग है। वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई लगभग 11.00 मीटर है। जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। उपरोक्त विभागों से प्राप्त आख्याओं में आवासीय भवन/स्कूल/हॉस्पिटल से दूरी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एल0ओ0आई0 दिनांक 30.12.2020 जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के समय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 में निर्गत आवासीय भवन/स्कूल/चिकित्सालय से न्यूनतम दूरी के सम्बन्ध में नियम लागू थे जिस कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 07.01.2020 में दिये गये दूरी के मानक उक्त रिटेल आउटलेट पर लागू होते हैं, जिन्हें रिटेल आउटलेट वर्तमान में पूर्ण नहीं करता है।

निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)
देहरादून

"Recently, we have arrested of charas from the state, in 2018 Nagar (193) and Haridwar (89).

इंडियनऑयल IndianOil

IndianOil

इंडियनऑयल IndianOil

Marketing Division - Uttar Pradesh State Office-II

Notice for appointment of Regular / Rural Retail Outlet (Petrol Pump) Dealerships for the state of Uttarakhand

Indian Oil Corporation Ltd. (MD) proposes to appoint Retail Outlet dealers at various locations in the State of Uttarakhand.

The detailed Advertisement and Brochure are available in the website **www.petrolpumpdealerchayan.in**

Application for RO dealership along with online payment of Non-refundable application fee, as applicable, should be submitted on-line by date **24.12.2018**.

The facility for submission of on-line application will be withdrawn immediately after the cut-off date as mentioned above.

APPLICANTS, IN THEIR OWN INTEREST, SHOULD CAREFULLY GO THROUGH THE "BROCHURE" AND UNDERSTAND CONDITIONS OF SELECTION BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATION.

The Corporation reserves the right to cancel/withdraw/ amend this advertisement or extend the due date at its sole discretion without assigning any reason.

In case of any discrepancy in advertisement published in English Newspapers vis a vis vernacular dailies, the direction/information indicated in English paper would prevail.

Corrigendum, if any, will be published only in the Web site www.petrolpumpdealerchayan.in

For purchase of Brochure and any information with regard to the advertisement, candidates may contact the following address:-

Address:Dehradun Divisional Office, 25 Nimbuwala, Garhi Cantt., Dehradun - 248003, Uttarakhand, Contact No.: 0135-2750107

#GiveItUp

TOI

इंडियनऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

Indian Oil Corporation Limited Regd. Office: Indian Oil Bawan,
G-9, All Yavar Jung Marg, Bandra (EAST),
Mumbai - 400051

Ref : 15442012259760 Date: 07-Dec-2019

To,

Ms. MADHU KAMBOJ

Address: 70,
MOTHROWALA,
NEAR PRIMARY SCHOOL,
DEHRADUN
District: DEHRADUN
State: UTTARAKHAND
Pin Code: 248001

Subject: Application for award of RO dealership at FROM KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHOROWALA ROAD District DEHRADUN under OPEN category Advertised on 25-Nov-2018

Dear Madam,

Please refer to your online application reference number **15442012259760** submitted for award of the subject RO dealership.

Please also refer to the Brochure on Retail Outlet dealer selection applicable for the subject location and available on the portal https://www.petrolpumpdealerchayan.in/.

We are pleased to inform you that you have been declared as successful candidate in the DRAW OF LOTS conducted on 06-Dec-2019 for selection of RO dealership at the subject location.

You are requested to remit online Rs. 50000.00,towards Initial Security Deposit (To pay click here or login to https://www.petrolpumpdealerchayan.in/) and submit the set of documents as specified below within 10 days at the address mentioned below for processing your application for award of Retail Outlet dealership at the above location.

Documents applicable for all category:

1. Notarized Affidavit by the applicant as per Appendix-X A /X B (Standard Affidavit), as applicable.
2. Proof of age (date of birth) i.e. - Self Attested copy of 10th Std. Board Certificate /

Secondary School Leaving Certificate / Birth Certificate / Passport / Identity card issued by Election Commission / Affidavit for age (Original).

3. Proof of educational qualification i.e. - Self Attested Copy of Certificate of passing 10th Std. issued by a Board / School conducting the examination or equivalent
4. Appendix – III B (Advocate's letter) along with Appendix – III A (for offer of land) if applicable.
5. Copy of land documents in support of ownership / lease rights.
6. Sketch of the offered land with dimension.
7. Proof of SKO allocation & copy of dealership agreement in case you are an existing unviable SKO Dealer.
8. Copy of PAN CARD.

Verification of all attested photo copies shall be done with the original documents during the Field Verification of Credentials (FVC).

It is expected that you are in possession of original documents wherever photo copies of documents are submitted.

Please note that your candidature is liable to be cancelled in case Initial Security Deposit is not remitted or the documents listed above are not submitted within 10 days from the date of this intimation.

Your candidature is liable to be rejected if you are not able to present the original documents at the time of FVC on the designated date and time or during the FVC if it is found that the information submitted by you in your on-line application is false/incorrect/misrepresented affecting your eligibility.

Note: Documents can be submitted at the below mentioned address of the Divisional Office between 10 am to 5 pm on any working day. In case the last date for submission of documents happens to be a Holiday for the Divisional Office, Documents can be submitted on the next working day.

Thanking you

Yours faithfully
For Indian Oil Corporation Ltd.

Manoj Jayant
Head of Divisional Office

Dehradun Divisional Office,
25,
Nimbuwala Garhi Cantt.,
Dehradun - 248003
0135 - 2750107

ANNEXURE 1

Dear Sir/Madam,

Greetings from SBIePay!!!!

The below mentioned transaction is success & funds have already been transferred to " Petroleum Products IOCL" Account.

Kindly advise the customer to get in touch with the " Petroleum Products IOCL" directly along with the below Order details for any further assistance on the Services/Refund/Receipt(Challan).

Transaction Details:	
ATRN	2814878893402
Merchant Order No.	15757152263035069
CIN No.	10004992019120700043
Transaction Date	07-Dec-2019 16:10
Settlement Date	2019-12-09 15:38:09
Transaction Amount	50000 INR
Posting Amount	50005.90 INR
Transaction Status	Transaction Paid Out
Operating Mode	Domestic
Country	India
Currency	Indian Rupee
Access Medium	Online
Payment Gateway	State Bank of India

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
देहरादून डिविजनल ऑफिस : 25 निम्बूवाला
गढ़ी कैन्ट, देहरादून – 248003 (उत्तराखण्ड)
Indian Oil Corporation Limited
Dehradun Divisional Office : 25, Nimbuwala,
Garhi Cantt, Dehradun, Uttarakhand-248003
Tel.: 0135-2750108, 2750110 Fax : 0135-2750111

No: DDO/Ravindra

Dt : 07.09.2022

[illegible] Kumar Baranwal,

The Upper District Magistrate,

Dehradun

Sub: **Reply on behalf of Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) to the letter ref no. 45/Pari-2022 dated August 24, 2022.**

Dear Sir,

The Retail Outlet in question is situated at Khata No. 01106, Khasra No. 1081, Mothrawala, Tehsil Sadar, Dehradun and is operating under the name of Ravindra Fuel Outlet. It is incorrect that the Retail Outlet has been established in contravention of the Central Pollution Control Board (CPCB) Guidelines for setting up new Petrol Pumps. The correct facts of the case are as follows:

1. An advertisement was issued on 25.11.2018 by IOCL for the proposed Retail Outlet in Dehradun. **Attached as Annexure-1**

2. On 18.1.2019 the National Green Tribunal (NGT) in O A No. 86 of 2019 directed CPCB to formulate guidelines for setting up of new petrol pumps.

पंजीकृत कार्यालय : जी–9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई – 400051 (भारत)
Reg. Office : G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East) Mumbai - 400051 (India)
CIN : L 23201 MH1959 GOI 011388

The Selection of dealer was done on 6.12.2019 and Letter of Intent (LOI) was issued in favour of the successful candidate by IOCL on 2.11.2020 for setting up the Retail Outlet at Khata No. 01106, Khasra No. 1081, Mothrawala, Tehsil Sadar, Dehradun. **Attached as Annexure-2**

CPCB, in compliance of the order dated 18.1.2019 of Ld. Tribunal, issued guidelines for setting up of new petrol pumps vide its Office Memorandum bearing No. 13011/1/2019-20/AQM dated 7.1.2020.

On Jan 2021 the successful candidate applied for sanctioning of the map for raising construction at the site. The inspection of the site was carried out by the Authority in the same month.

On 29.1.2021 the CPCB issued a clarification that the guidelines dated 7.1.2020 would not apply to those cases where initial approval has been obtained and construction has been started before 7.1.2020.

Requisite Permissions and No Objections for setting up of the Retail Outlet were given by Fire Deptt, PWD Deptt, SDM & Tehsildar, SSP Office, MDDA Provisional and DSO, Dehradun.

On 12.03.2021 Secretary, Mussorrie Dehradun Development Authority (MDDA) certified that the land of the successful bidder was fulfilling the MDDA requirement of plot size and as per zoning regulations the plot was good for establishment of Petrol Pump provisionally & final approval dt 20.06.2022. **Attached as Annexure-3**

applied to your office for the grant of NOC for setting up the Retail Outlet.

You, after considering the aforementioned no objections issued NOC dated 20.3.2021 as per the Petroleum Act with respect to the setting up of retail outlet at Khasra No. 1081, Dehradun. Thereafter, construction was started at the site. **Attached as Annexure-4**

The Letter of allotment was issued to the dealer on 28.4.2021 and the retail outlet was commissioned on 30.4.2021. **Attached as Annexure-5**

12. In the present case admittedly the LOI and the initial approval were granted before 7.1.2020. It is stated that the process to set up the instant petrol pump had started in the year 2018 when the advertisement was issued. The advertisement was followed by the process of allocation of the distributorship after verification of the documents and finally the letter of intent was issued on 6.12.2019. As such the initial approval for establishing the Retail outlet was obtained prior to 7.1.2020. Thus, the CPCB guidelines are not applicable to the present Retail outlet.

13. The NGT vide order dated 10.5.2022 in Appeal no.06/2022(SZ) entitled Abraham Kuruvila Vs The Kerala State Pollution Control Board & Ors has held that if process for seeking consent had already started, guidelines for setting criteria of a petrol pump are not applicable.

Without prejudice to the above, it is stated that Retail Outlet is in full compliance of the Guidelines for setting of petrol pump issued by CPCB. The Report of the Joint Committee is incorrect and has been made in the absence of IOCL which is against the principles of natural justice. It is stated that the school Sierra International which is alleged to be adjacent to the Retail did not seek or have any permissions from the authorities for its establishment and had been illegally established on the said site.

15 It is stated that there is no residential area designated as per local laws which is within 50 meters of the Retail Outlet. It is also reiterated that the school did not seek or have any permissions from the authorities for its establishment and had been illegally established on the said site.

16 It is also stated that as per the Guidelines of CPCB Retail Outlets can be established not less than 30 meters from the residential area designated as per law. Without prejudice to the contention that there is no area which has been designated as residential area with 50 meters of the Retail outlet it is stated that even as per the report of the Joint Committee the nearest residential house is 40 meters from the dispensing units which as per the guidelines is allowed.

17 In view of the above, the NOC issued by this office for establishment of the Retail outlet at Khata No. 01106, Khasra No. 1081, Mothrawala, Tehsil Sadar, Dehradun should not be cancelled. Also, there are very

...ew Retail Outlets in the area and the cancellation of the Retail Outlet ...ill cause grave inconvenience to the public at large.

...ours sincerely,

...Divisional Retail Sales Head,

...ehradun DO

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या– 268/ परि0–2020–21 दिनांक 20 मार्च 2021

विषयः– भूमि खसरा नं0 1081क ग्राम मोथरोवाला तहसील व जनपद देहरादून में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

डीविजनल रिटेल आउटलेट मेनेजर,
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,
देहरादून।

उपरोक्त विष्यक आपके कार्यालय के पत्र संख्या DNDO/NRO/245 दिनांक 30.12.2020 का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा भूमि खाता संख्या 1106 के भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून पर प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 268/परि0-2020-21 दिनांक 31.12.2020 के द्वारा सम्बन्धित विभागो से आख्या प्राप्त की गई, उक्त पत्र के क्रम में सम्बन्धित विभगो से प्राप्त विभागवार आख्या निम्नवत है।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने अपने पत्रांक- एस0टी0-एस0एस0पी0-01(एन0ओ0सी0)/2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 में उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी से जॉच कराई गई, क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी की आख्या में उल्लेख किया गया है कि उक्त सम्बन्ध मे थाना नेहरू कालोनी से जाॅच करायी गयी तो थानाध्यक्ष की आख्यानुसार आवेदिका का नाम श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज निवासी दर्शन कुंड न्यू कैनाल रोड़ मोथरोवाला देहरादून के निवासी है। उक्त भूमि स्थल के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई विवाद नही है। आस-पास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित होने की सम्भावना नही है। प्रस्तावित भवन का निर्माण भूक्म्परोधी तकनीक पर किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित स्थल अग्नि सुरक्षा के दृश्टिगण से उपर्युक्त है। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई उच्च क्षमता की विधुत लाईन नही गुजरती है।

अतः प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प खोले जाने मे कोई आपति नहीं है।

2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून ने अपने पत्र न0-4/ सी0एफ0ओ0/पैट्रोल पम्प-D-PE-05-2020 दिनांक 12 जनवरी 2021 में उल्लेख किया गया है कि प्रष्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर की संस्तुति आख्या दिनांक 08.01.2021 को प्रेशित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः-
1. निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई उच्च क्षमता की विधुत लाईन नही गुजर रही है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रस्तावित स्थल तक अग्निपमन का वाहन आसानी से पहुॅच सकता है।

प्रस्तावित रिटेल आउटलेट में निम्नाकित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ का होना आवश्यक हैः-
1. प्रतावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प केक प्रवेश एवं निकास मार्ग को छोड़कर तीनों ओर से कम से

DISTT. MAGISTRATE DEHRADUN कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

कम 3.50 मीटर ऊंची चाहर दीवारी की जायेगी। अग्निशमन अपकरणों की देखरेख/संचालन हेतु प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी/गार्ड रखना अवशयक है।

2.प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में बनने वाले कक्ष की टैरिस में 05 हजार लीटर पानी की क्षमता के टैंक का प्राविधान किया जायेगा, उक्त टैरेस टैंक से सम्बध्द 30 मी0 लम्बाई की होज रील का प्राविधान किया जाना आवष्यक है। होज रील को प्रेशर युक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए टैरेस टैंक के पास उचित क्षमता के फायर पम्प का प्राविधान किया जाना आवष्यक होगा।

3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के समीप लाल रंग टिन षेड का निर्माण किया जायेगा जिसमें बडे-बडे अक्षरों में "आग (फायर)" लिखा जायेगा।

4. उक्त टिन षेड में चार अदद मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्यूषर प्रत्येक 09 ली0 क्षमता के तथा दों अदद ए0वी0सी0 एक्सटिंग्यूषर प्रत्येक 09 किग्रा0 क्षमता के रखें जायेंगे, साथ ही 088 अदद सेण्ड में टंगी रहेगी।

5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के मैन विद्युत पैनल बोर्ड के पास 4.5 किग्रा0 क्षमता का एक सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर रखा जाना आवश्यक है।

6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में छोडे गये सेट बैंक तथा बफर स्ट्रिप से फयूल प्वांइट की दूरी तक कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

7. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के पृश्ट व दोनो पाष्र्व में न्यूनतम 3.00-3.00 मी0 सेट बैक आवष्यक होंगे।

8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में अग्नि सुरक्षा नियमानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रविधान सुनिश्चित करना होगा तथा मुख्य नियन्त्रक, विस्फोटक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. पेट्रोलियम रूल्स 1976 (यथासंशोधित) के प्रस्तर 30 के अनुसार ड्रेजेस, प्रस्तर 127 के अनुसार आर्थिंग आफ टैंक किसी सक्षम अभियन्ता की देखरेख में ही करवाया जायेगा।

10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प में डीजल/पेट्रोल भरने का कार्य सूर्यास्त से पूर्व तथा सूर्योदय के बाद ही किया जायेगा।

11. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के पास फायर स्टेषन का टेलीफोन नं0-01360-222261, 101 पुलिस कन्ट्रोल रूम 100, 112 एवं आपातकालीन एम्बूलेंस सेवा का टेलीफोन नं0 108 स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की विद्युत व्यवस्था फलेम प्रूफ एवं एम0सी0बी0 तथा ई0एल0सी0बी0 पर आधारित होगी।

DIST.T. MAGISTRATE * DEHRADUN
कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून

13. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के बाहर धूम्रपान निशेध का बोर्ड लगाया जाना आवष्यक है।

14. O.I.S.D द्वारा दिये गये निर्देषों का पालन करना सुनिष्चित करेंगें। तथा अन्य प्रावधान जो भारतीय पैट्रोलियम तथा एक्सप्लोसिव अधिनियम द्वारा वांछित हों, लागू होंगें।

अतः उक्त के अनुसार 1 से 14 बिन्दुओ एवं वर्णित अग्नि सुरक्षा बिन्दुओ तथा नेषनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया पार्ट-3 एवं पार्ट-4 में वर्णित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं, पेट्रोलियम रूल्स 2002, भारतीय विद्युत नियमावली के मानको एवं उत्तराखण्ड षासनप के संषोधित आदेश सं0 837/V-2-2016-127(आ0)/15-टी0सी0 दिनांक 03 जून 2016 एवं शासनादेश सं0 998/ V-2-2020-56(आ0)/2016 दिनांक 15 सितम्बर 2020, के मानको को पूर्ण किये जाने तथा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के पास की गयी प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन विभाग से काराकर व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण (Pre-Operational) पत्र लिये जाने की षर्त पर प्रष्नगत स्थल पर पैट्रोल पम्प निर्माण हेतु प्रारम्भिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (Pre-Establishment) निर्गत करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा।

3- सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ने अपने पत्र सं0 2474/मानचित्र सेल/ 2020-21 दिनांक 12 मार्च 2021 में उल्लेख किया गया है कि संलग्न मानचित्र में अंकित की-प्लान में दी गयी दूरी एवं लोकेशन इनजोनल प्लान व गूगल ईमेज/ कॉर्डीनेटस से मिलान करने पर स्थल मोथरावाला रोड (पष्चिम दिशा) दिशा से लगा हुआ है जिसकी महायोजना में चै0. 30मी0 व पूरब दिषा में 12मी0 केनाल रोड ततपष्चात भू-उपयोग आवासीय मे प्रदर्षित है यदि भवन उप विधियो के अनुसार पेट्रोल पम्प के सभी मानक पूर्ण होते है तो आवासीय भू-उपयोग में पेट्रोल पम्प की अनुमति प्रधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। आवेदक द्वारा मानचित्र संख्या -सी0-0342/20-21 भी आवेदित किया गया है।

आवेदक को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट निर्माण से पूर्व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के विनियमानुसार प्रधिकारण से मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4- उपजिलाधिकारी देहरादून (सदर) ने अपने पत्र संख्या 05/पी0ए0-2021 दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार सदर से करायी गयी ।नायब तहसीलदार सदर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 01.01.2021 में उल्लेख किया है कि ग्राम ग्राम मोथरोवाला के खाता संख्या 1106 के खसरा संख्या 0.0710है0 भूमि पर श्री रविन्द्र कुमार पुत्र दर्शन लाल का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भू-खण्ड पर रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार उक्त भूमि प्रस्तावित की गयी है। जिसके पूरब में सड़क, पष्चिम में मुख्य सडक मोथरोवाला, उत्तर में भूमि अंपुल काम्बोज तथा दक्षिण में भूमि श्री गैरोला स्थित है। उक्त भूमि स्थल पर रिक्त है तथा स्थल पर कोई पेड़ इत्यादि नहीं है। स्वामित्व के संलग्न है। नायब तहसीलदार सदर द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अपनी संस्तुति/अनापत्ति इस षर्त के साथ प्रस्तुत की गयी है कि सम्पति के स्वामित्व के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में भू-स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून DEHRADUN

5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून के कार्यालय पत्र सं0- 127/1 सी0बी0 दिनांक 08.01.2021 में उल्लेख किया गया है कि रोड साइट लैन्ड कन्ट्रोल एक्ट क अन्तगत धर्मपुर चैक से मोथरोवाला-दूधली-डोईवाला, मोटर मार्ग के कि0मी0-4.200 में इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून मे खाता संख्या-01106 के खसरा नं0 1081क क्षे0 0.0710 है0 में न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 आउटलेट स्थापना हेतु आपति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 05.01.2021 को स्थल निरीखण उपरान्त आख्या निम्नप्रकार हैः-

1- मार्ग एवं लो0नि0वि0 भूमि सत्यापन किया गया। प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मौजा मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून की भूमि खाता संख्या 01106 खसरा नं0 0181 के क्षत्रफल 0.0710है0 भू स्वामी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र दर्षन लाल ने श्रीमती मधु काम्बोज, पत्नी श्री रविन्द्र कुमार निवासी दर्शन कुंज न्यू कैनाल रोड, मोथरोवाला, देहरादून उत्तराखण्ड के नाम उपहार पत्र (दान नामा) के माध्यम से दान (उपहार) की गइ है। इस भूमि पर न्यू पेट्रोलियम क्लास-ए0/बी0 रिटेल आउटलेट धर्मपुर मोथरोवाला दूधली डोईवाला मार्ग के कि0मी0 4.200 में मार्ग के बाई ओर मार्ग की मध्य रेखा से 18 मीटर की दूरी के पष्चात लो0नि0वि0 की सड़क से हटकर निर्माण (स्थापित) किया जाना प्रस्तावित है।

2- वर्तमान में मार्ग के चैडीकरण विस्तारीकरण का कोई कार्य गतिमान नहीं है। परन्तु भविष्य में मार्ग के अधिक चैडीकरण/विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवष्यकता हुई तो भू स्वामी को नियमानुसार विभाग को भूमि उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
3- मार्ग की मध्य रेखा से 18.00 मीटर की दूरी के पष्यात सरकारी भूमि/लो0नि0वि0 की सड़क से हटकर प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास-ए/बी रिटेल आउटलेट की स्थापना निम्न प्रतिबन्धों के साथ करने से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।

प्रतिबन्धः-

1- विभागीय/सरकारी भूमि पर वर्तमान में कोई स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण नहीं है, भविश्य में भी विभागीय/सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण न किया जाय।

2- पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण हेतु आवेदक को विभाग से अलग से अनुमति लेनी होगी।

3- जल-मल की व्यवस्था आवेदक अपनी भूमि पर अथवा निर्धारित सीवरेज से ही करेंगे।

4- निर्माण सम्बन्धी सामाग्री विभागीय भूमि/मार्ग की भूमि पर एकत्र न की जाय।

5- प्रस्तावित मानचित्र में प्रदर्षित सैट बैंक रोड बाइडिंग एवं पार्किंग हेतु छोडी गयी भूमि में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जाय।

6- भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं निर्माण की पुश्टि राजस्व विभाग/नगर निगम/एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा की जायेगी।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून

7- दान नामा (उपहार पत्र) की गई भूमि का दाखिल खारिज उपहारग्रहिता श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज के नाम न्यू पेट्रोलियम आउटलेट स्थापना से पूर्व खतौनी में दर्ज अभिलेख करना होगा।

8- अग्निशमन आदि प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से आवेदक स्वंय प्राप्त करेंगे।

9- प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण भारत पैट्रोलियम कोरपोरेषन लि0 के प्राधिकृत इंजीनियर की सलाह एवं विषेशज्ञ की देखरेख में ही किया जाये।

10- देहरादून क्षेत्र भूकम्प की दृश्टि से अत्यन्त संवेदनशील है अतः प्रस्तावित यू पेट्रोलियम क्लास-ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु की बुनियाद एवं उपरी संरचना का डिजाईन एवं निर्माण मिटटी परीक्षण उपरान्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह एवं विषेशज्ञ की देख रेख में किया जाय।

11- बफर स्ट्रिप/होल्डिंग्स बनाने/लगाने की अनुमति नहीं दी गयी है।

12- मार्ग की नाली के पानी निकासी मे कोई बाधा उत्पन्न न की जायें।

13- उक्त प्रस्तावित कार्य से मार्ग के यातायात में कोई भी बाधा उतपन्न नही होनी चाहिए।

14- उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों में किसी का भी उल्लंघन होने पर उक्त अन्नापति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिबन्धों के साथ धर्मपुर चैक से मोथरोवाला-दूधली-डोईवाला, मोटर मार्ग के कि0मी0-4.200 में मार्ग के बायी ओर मार्ग की मध्य रेखा से 18.00 मीटर की दूरी के पष्चात लो0नि0वि0 की सड़क/सरकारी भूमि से हटकर इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास-ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

6- जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के पत्र सं0-1334/जि0पू0अ0-प्रेमो0/2020-21 दिनांक 06.01.2021 में उल्लेख किया गया है कि भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आख्या प्रेशित करने के निर्देश दिये गयें थें। उक्त के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक (मुख्य), द्वारा जॉच कराई गई। पूर्ति निरीक्षक (मुख्य) की जॉच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेशित है कि उक्त जॉच आख्या में कोई भी आपत्ति नही दर्षायी गई, जॉच आख्या संतोशजनक दर्शायी गई है।

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि पैट्रोलियम रूल 2002 के चैप्टर-VII के लाईसेंस प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त पैट्रोलियम रूल 2002, चैप्टर-VII के सक्षन 144 NOC या अनापत्ति से सम्बंधित है। महोदय सेक्षन रूल 144(1) यह स्पष्ट करता है लाईसेंसिंग प्राधिकारी चीफ कन्ट्रोलर या कन्ट्रोलर होगा। कोई आवेदक नये लाईसेंस हेतु अपने स्थलीय प्लान की दों प्रतियों के साथ जिला प्राधिकारी के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करेगा और जिला प्राधिकारी को यदि कोई आपत्ति नही होती है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। पूर्ति निरीक्षक (मुख्य) की आख्या निम्नानुसार है।

1. प्रश्नगत भूमि दुधली से मोथरोवाला मार्ग पर दायी ओर स्थित है।
2. प्रश्नगत भूमि श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज के नाम दर्ज है।
3. उक्त पेट्रोल पम्प हेतु 22 मी0 31 मी0 भूमि प्रस्तावित है।
4. प्रश्नगत भूमि पर कोई पेड़ नही है।
5. प्रश्नगत सम्पत्ति की चोहदी निम्नानुसार है।

DISTT. MAGISTRATE कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून DEHRADUN

पूरब- कैनाल रोड।
पश्चिम- मोथरोवाला मुख्य सड़क।
उत्तर- सम्पत्ति श्री अंषुल काम्बोज।
दक्षिण- सम्पत्ति श्री गैरोला जी।

6. प्रश्नगत भूमि जिसके ऊपर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित किया जाना है कि ऊपर से विद्युत की हाईटेंशन तार नही जा रही है।
7. प्रश्नगत सम्पत्ति के एक भाग में टिनसेट बना है, जिसे सम्पत्ति स्वामी द्वारा हटाया जा रहा है।

उपरोक्त विभागो /आख्यायओ के अधीन भूमि खाता संख्या 1106 के भूमि खसरा न0 1081क, ग्राम मोथरोवाला तहसील व जिला देहरादून पर प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि भवन निर्माण करने से पूर्व मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त वर्णित 06 विभागो से प्राप्त अनापत्ति में अंकित शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी एवं प्रश्नगत भूमि का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय आवेदक की होगी।

ह0/-
जिलाधिकारी, देहरादून।
19/03/2021

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
02- सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
03- उप जिलाधिकारी देहरादून।
04- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।
05- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
06- जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून।

20/6/21

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।

DISTT. MAGISTRATE
कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट देहरादून
DEHRA DUN.

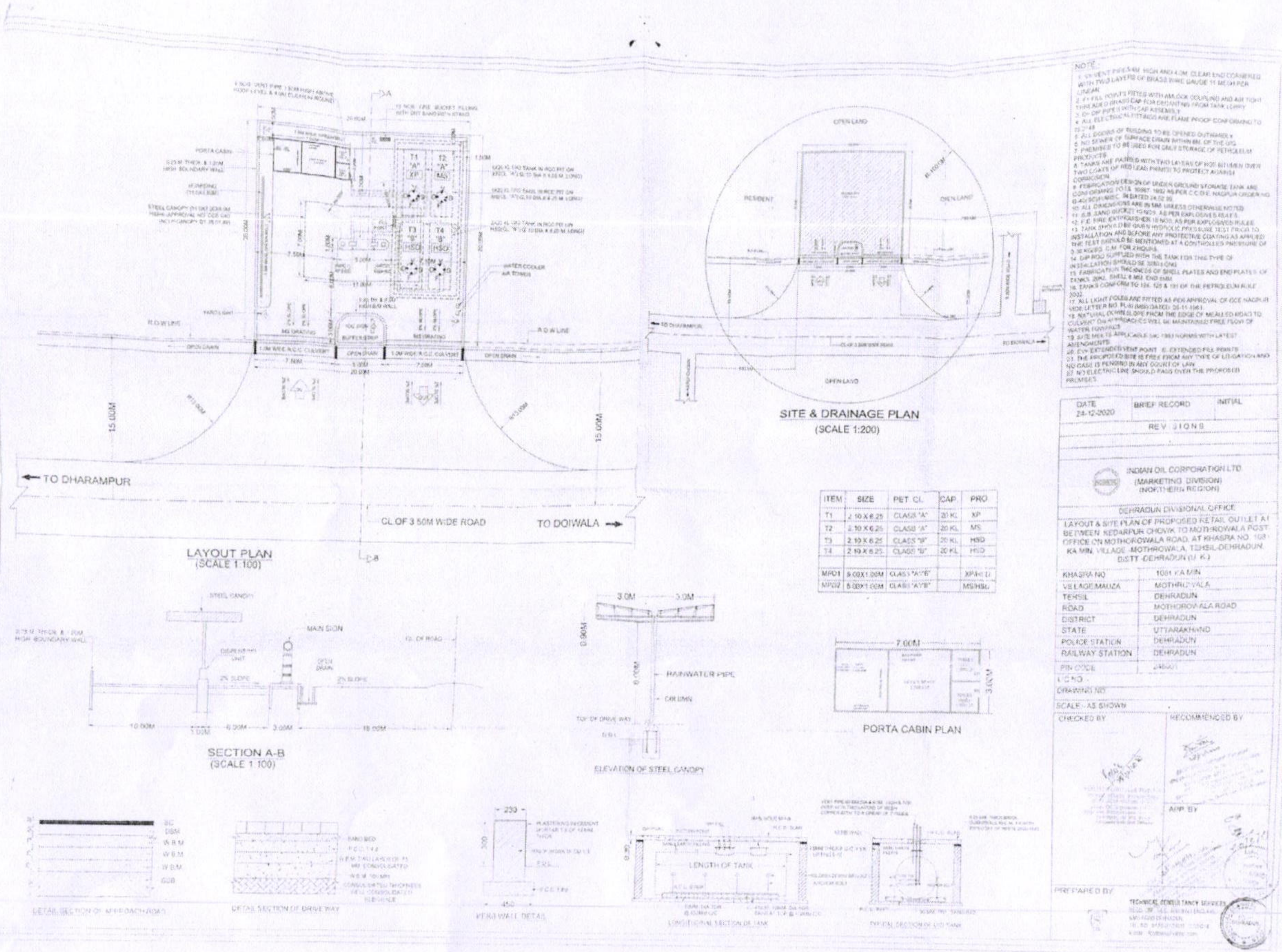

ITEM	SIZE	PET CL	CAP	PRO
T1	2.10 X 6.25	CLASS "A"	20 KL	XP
T2	2.10 X 6.25	CLASS "A"	20 KL	MS
T3	2.10 X 6.25	CLASS "B"	20 KL	HSD
T4	2.10 X 6.25	CLASS "B"	20 KL	HSD
MPD1	5.00X1.00M	CLASS "A"/"B"		XP/HSD
MPD2	5.00X1.00M	CLASS "A"/"B"		MS/HSD

DATE	BRIEF RECORD	INITIAL
24-12-2020		

REVISIONS

INDIAN OIL CORPORATION LTD
(MARKETING DIVISION)
(NORTHERN REGION)

DEHRADUN DIVISIONAL OFFICE

LAYOUT & SITE PLAN OF PROPOSED RETAIL OUTLET AT BETWEEN KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHOROWALA ROAD, AT KHASRA NO. 108 KA MIN, VILLAGE -MOTHROWALA, TEHSIL-DEHRADUN, DISTT-DEHRADUN (U.K.)

KHASRA NO	1081 KA MIN
VILLAGE/MAUZA	MOTHROWALA
TEHSIL	DEHRADUN
ROAD	MOTHOROWALA ROAD
DISTRICT	DEHRADUN
STATE	UTTARAKHAND
POLICE STATION	DEHRADUN
RAILWAY STATION	DEHRADUN
PIN CODE	[illegible]

LC NO. -
DRAWING NO
SCALE - AS SHOWN

CHECKED BY	RECOMMENDED BY

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

पत्रांकः-2474/मानचित्र सेल/2020-21 दिनांकः 12 मार्च,2021

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी(प्र0),
देहरादून ।

विषयः- भूमि खसरा नम्बर-1081 क ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु भवन मानचित्र के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-268/परि0-2020-21 दिनांक 05.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें भूमि खसरा नम्बर-1081क ग्राम माथेरावाला तहसील देहरादून में प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु आवेदक द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत कराया गया है अथवा नहीं , के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है और मानचित्र की प्रति संलग्न की गयी है । तत्क्रम में अवगत कराना है कि संलग्न मानचित्र में अंकित की-प्लान में दी गयी दूरी एवं लोकेशन इन जोनल प्लान व गुगल इमेज/कॉर्डिनेटस से मिलान करने पर स्थल मौथरोवाला रोड (पश्चिम दिशा) से लगा हुआ है जिसकी महायोजना में चौडाई 30.0 मीटर व (पूरब दिशा) में 12.0मीटर कैनाल रोड, तत्पश्चात भूउपयोग आवासीय में प्रदर्शित है । यदि भवन उपविधियों के अनुसार पेट्रोल पम्प के सभी मानक पूर्ण होते है तो आवासीय भूउपयोग में पेट्रोल पम्प की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है । आवेदक द्वारा मानचित्र संख्या-सी-0342/20-21 भी आवेदित किया गया है ।

अतः आवेदक को आयल कारपोरेशन लि0 के प्रस्तावित न्यू पेट्रोलियम क्लास ए/बी रिटेल आउटलेट निर्माण से पूर्व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के विनियमानुसार प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

Mussoorie Dehradun Development Authority

Transport Nagar, Saharanpur road,
Near ISBT, Dehradun-248001
(Uttarakhand) INDIA

Phone : +91 135 6603100
Fax : +91 135 6603103
Email : info@mddaonline.in
Website : www.mddaonline.in

Sanction Letter

Date 20/06/2022

Map No CC-0018/21-22/RE1
Sector Sector 3

To,

MADHU KAMBOJ
DARSHAN KUNJ, NEW CANAL ROAD. MOTHROWALA,
DEHRADUN, UTTARAKHAND 248001
Dehradun-248001

Your application dated 2022-05-24 17:10:38.0 regarding construction (with enclosed map) proposed by you situated at, BETWEEN KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHOROWALA ROAD, AT KHASRA NO. 1081 KA, MAUZA - MOTHROWALA, PARGANA- PACHHWADOON, Dehradun-248001 has been accepted.

Digitally signed by HARICHAND SINGH RANA
Date: 2022.06.20 12:49:57 IST
Reason: Online Map Approval
Location: Dehradun

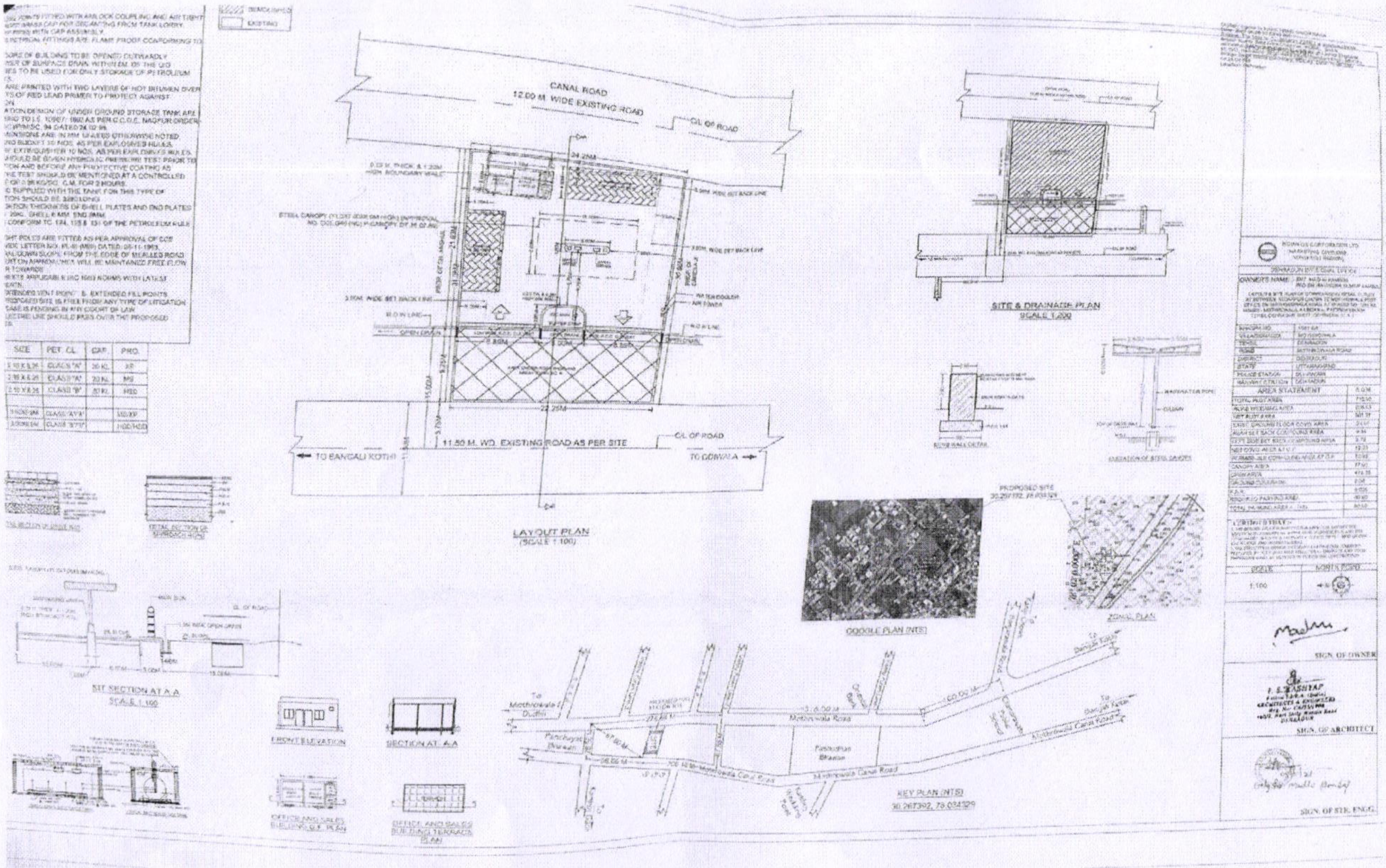
CANAL ROAD
12.00 M. WIDE EXISTING ROAD
C/L OF ROAD
11.50 M. WD. EXISTING ROAD AS PER SITE
TO BANGALI KOTHI
LAYOUT PLAN
(SCALE 1:100)
SITE & DRAINAGE PLAN
SCALE 1:200
GOOGLE PLAN (NTS)
ZONAL PLAN
KEY PLAN (NTS)
30.267392, 78.034329
SIT SECTION AT A A
SCALE 1:100
FRONT ELEVATION
SECTION AT A-A
Mothrowala Road
Mothrowala Canal Road
SIGN. OF OWNER
SIGN. OF ARCHITECT
SIGN. OF STR. ENGG.

प्रेषक,

जिला पूर्ति अधिकारी,
देहरादून ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून ।

पंत्राक 1334 /जि0पू0अ0–प्रेप्रो0/2020–21 दिनाकः– 06 जनवरी 2021

वियः– भूमि खसरा 1081 KA, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून पर प्रस्तावित न्यु पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 268/परि–2020–21 दिनाक 31–12–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा भूमि खसरा 1081 KA, ग्राम मोथरोवाला तहसील देहरादून, जनपद देहरादून पर प्रस्तावित न्यु पेट्रोलियम क्लास ए0/बी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध में आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त के अनुपालन में पूर्ति निरीक्षक(मु0), द्वारा जॉच कराई गई। पूर्ति निरीक्षक (मु0) की जॉच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त जॉच आख्या में कोई भी आपत्ति नही दर्शायी गई, जॉच आख्या संतोषजनक दर्शायी गई है।

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि पैट्रोलियम रूल 2002 के चैप्टर–VII के लाईसेंस प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त पैट्रोलियम रूल 2002, चैप्टर–VII के सैक्शन 144 NOC या अनापत्ति से सम्बंधित है। महोदय सेक्शन रूल 144(1) यह स्पष्ट करता है कि लाईसेंसिंग प्राधिकारी चीफ कन्ट्रोलर या कन्ट्रोलर होगा। कोई आवेदक नये लाईसेंस हेतु अपने स्थलीय प्लान की दो प्रतियों के साथ जिला प्राधिकारी के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करेगा और जिला प्राधिकारी को यदि कोई आपत्ति नही होती है तो उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत महोदय, की ओर से विभिन्न कार्यदायी संस्थानो से स्थलीय निरीक्षण कराते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण आदि। उपरोक्त विभागों द्वारा प्रस्तुत अपनी–अपनी रिपोर्ट पर महोदय की ओर से NOC या अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त, ही डीजल लाईसेंस निर्गत किया जाता है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जसवन्त सिंह कण्डारी)
जिला पूर्ति अधिकारी
देहरादून ।

भारत सरकार
Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पैसो)
Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
63/4, ए-विंग, दूसरा तल, केंद्रालय (सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स), संजय प्लेस
आगरा- 282002
63/4, A-Wing . IInd floor, Kendralaya (CGO Complex), Sanjay Place,
Agra - 282002

E-mail : **jtcceagra@explosives.gov.in**
Phone/Fax No : **0562 - 2523244,2523266**

संख्या /No. : **P/CC/UC/14/1185 (P498168)** दिनांक /Dated : **30/04/2021**

सेवा में
/To,

M/s. Indian Oil Corporation Limited,
DEHRADUN DIVISIONAL OFFICE,,
25, NIMBUWALA, GARHI CANTT,
Dehradun,
Dehradun,
Taluka: Dehradun,
District: DEHRADUN,
State: Uttarakhand
PIN: 248003

विषय /Sub : **Khasra No, 1081 KA MIN, RO AT B/W KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHROWALA ROAD, KHASRA NO. 1081 KA MIN, VILL- MOTHRO WALA, TEHSIL- DEHRADUN, DIST- DEHRADUN, MOTHROWALA, Dehradun, Taluka: Dehradun, District: DEHRADUN, State: Uttarakhand, PIN: 248001** में पेट्रोलियम वर्ग **A,B Retail Outlet** ।
Petroleum Class **A,B Retail Outlet** at **Khasra No, 1081 KA MIN, RO AT B/W KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHROWALA ROAD, KHASRA NO. 1081 KA MIN, VILL- MOTHRO WALA, TEHSIL- DEHRADUN, DIST- DEHRADUN, MOTHROWALA, Dehradun, Taluka: Dehradun, District: DEHRADUN, State: Uttarakhand, PIN: 248001**

महोदय
/Sir(s),

कृपया आपके पत्र क्रमांक **OIN783018** दिनांक **22/04/2021** का अवलोकन करें ।
Please refer to your letter No. **OIN783018** dated **22/04/2021**

विषयान्तर्गत पेट्रोल पम्प में निम्नलिखित पेट्रोलियम पदार्थों के वर्ग तथा मात्रा के भंडारण के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन प्ररूप - XIV में स्वीकृत तथा दिनांक **31/12/2025** तक वैध अनुज्ञप्ति संख्या **P/CC/UC/14/1185 (P498168)** दिनांक **30/04/2021** भेजी जा रही है ।

Licence No. **P/CC/UC/14/1185 (P498168)** dated **30/04/2021** granted in Form XIV under the Petroleum Rules, 2002 and valid till **31/12/2025** for the storage of the following kind and quantities of Petroleum at the subject petrol pump is forwarded herewith.

<%----%> <%----%><%----%>

पेट्रोलियम का विवरण /Description of Petroleum	किलोलीटरों में अनुज्ञप्त क्षमता /Quantity licenced in KL
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class A in bulk	**20.00 KL**
Petroleum Class A, otherwise than in bulk	**NIL**
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम /Petroleum Class B in bulk	**40.00 KL**
Petroleum Class B, otherwise than in bulk	**NIL**

Petroleum Class C in bulk	NIL
Petroleum Class C,otherwise than in bulk	NIL
कुल क्षमता /Total Capacity	**60.00 KL**

कृपया पेट्रोलियम नियम 2002 के अधीन बनाए गए नियम 148 में दी गई प्रक्रिया का कडाई से पालन करें तथा अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु समस्त प्रपत्रों को अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ती की तारीख या उससे पूर्व to **Controller of Explosives, Dehradun**, so as to reach his कार्यालय को प्रेषित करें । Please follow the procedure strictly as laid down in rule 148 of the Petroleum Rules, 2002 and submit complete documents for the Renewal of the licence to **Controller of Explosives, Dehradun**, so as to reach his office on or before the date on which Licence expires.

यह अनुमोदन/ अनुमति अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति/क्लीयरन्स प्राप्त करने से या यथा लागू अन्य् विधियों से छूट नही देती है । This approval/permission, however, does not absolve from obtaining necessary permission/clearance from other authorities or under other statutes as applicable.

भवदीय /Yours faithfully,

((डा.ए.पी.सिंह)
(Dr. A.P. Singh))
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
Jt. Chief Controller of Explosives
आगरा/Agra

Copy forwarded to :-
1. The District Magistrate, DEHRADUN(Uttarakhand) with reference to his NOC No 268/PARI0-2020-21 Dated 20/03/2021
2. The Controller of Explosives, Dehradun. A Copy of the licence along with approved plan is enclosed.

Jt. Chief Controller of Explosives
Agra

(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क तथा अन्य विवरण के लिए हमारी वेबसाइट: http://peso.gov.in देखें)

(For more information regarding status,fees and other details please visit our website: http://peso.gov.in)

Note:-This is system generated document does not require physical signature.

Disclaimer : This page gives the latest action taken by this organization on your application. This page is made available for the information of concerned applicant/licensee only. All efforts have been made to secure this information. However, PESO will not be responsible for any misuse of the information by unauthorized persons including the hackers.

इंडियन ऑयल
Indian Oil
A Maharatna Company

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
देहरादून डिविजनल ऑफिस : 25, निम्बूवाला
गढ़ी कैन्ट, देहरादून – 248003 (उत्तराखण्ड)

Indian Oil Corporation Limited
Dehradun Divisional Office : 25, Nimbuwala,
Garhi Cantt, Dehradun, Uttarakhand-248003
Tel. : 0135-2750108, 2750110 Fax : 0135-2750111

मार्केटिंग डिविजन
Marketing Division

Ref: M/2020/IN002138/UTK/000005/1505/00005 Page: 1 of 4 Date: 02.11.2020

To,
SMT. MADHU KAMBOJ
W/O. RAVINDRA KUMAR KAMBOJ
70, MOTHROWALA. NEAR PRIMARY SCHOOL,
DEHRADUN, UTTARAKHAND-248001

Dear Sir/Madam,

Sub : Proposed MS/HSD B Site Retail Outlet Dealership at Location: FROM KEDARPUR CHOWK TO MOTHROWALA POST OFFICE ON MOTHOROWALA ROAD,District:DEHRADUN State:Uttarakhand Category:OPEN

We refer to our advertisement dated 25.11.2018 and your application form No. 15442012259760 for the award of MS/HSD Retail Outlet dealership at the above location and the subsequent Draw of Lots held at DEHRADUN on 06.12.2019.

Please be informed that by this Letter of Intent, we propose to offer you a Retail Outlet dealership of Indian Oil Corporation Ltd. at the above location on the following terms & conditions:-

1. You have offered a suitable piece of land admeasuring 400 Sq. Meter approx.; 20 Meter (frontage) X 20 Meter (depth) at KHASRA NO.1081 KA, Village MOTHROWALA ; Taluka:DEHRADUN, District:DEHRADUN. Owned by your family members RAVINDRA KUMAR KAMBOJ as indicated by you in the application for the development of the subject Retail Outlet. You have to make available this land within 2 months from the date of this letter failing which this offer is liable to be withdrawn.

2. For making the land available as required above, you will ensure that the land arranged by you is either registered in your name or it should be leased to you for a minimum period of 19 years & 11 months.

3. As and when advised by the Corporation, the site offered by you would be duly developed up to the road level by cutting/filling (as applicable), with good earth/murrum, layer-wise compacted as per standard engineering practices. You shall also construct necessary retaining wall and compound wall of 1.5 meters height, designed as per site conditions as per approval of Corporation as committed under Clause 12 (e) of affidavit submitted by you along with application. Kindly note that in case the site as offered by you for putting up the Retail Outlet is not developed as per the advice of the Corporation, this Letter Of Intent will be withdrawn without any further notice

4. You will provide at the retail outlet infrastructural facilities like Permanent Sales Building (Including Public Toilet/Electric Room/Office Room/Store/Lube display,Paved RCC Driveway,Buffer Strip/Approaches as per norms,Canopy & RVI as per Corporation requirements,Yard Lighting,Water Connection/Borewell,Compressor with Electronic Air Gauge as mentioned in the Brochure and after obtaining necessary clearances/approvals / licenses as applicable in each case. Indian Oil Corporation Ltd. will provide storage tanks and pumps and other facilities considered necessary at the Retail Outlets.

5. In addition, you will also provide the following basic facilities at your cost at the Retail Outlet premises:-

a. Clean drinking water.
b. Free Air.
c. Clean toilet.
d. Telephone.
e. First aid kit with valid medicines.
f. Adequate illumination.
g. PUC facilities, wherever it is mandatory.
h. Oth[illegible]

02.11.2020